

10.1.17

पत्रावली पेश हुई। और सामल जीवशास्त्र उपस्थित।  
सादर से तय्य लेंकोप में इस प्रकार है कि पटवारी  
हलका शुभकर में 20 अंश में जेला नि सत्यपित  
एक रिपोर्ट पेश की है कि जीवशास्त्र पुत्र को वृद्ध  
जानी जाय त्ति वीजाण्य की ठानी में सौपा  
वीजाण्य की ठानी के खान नं 26 उदयपुर 0.02 हें  
और पुत्राक्षि शास्त्र पर पत्रावली बनाकर सवेर  
करवा लिख हें।



अंश नि 0 पीपण

इस पर और सामल के विरुद्ध धारा 312 प्रभा के  
तहत सुकारण दर्ज किया जाकर मोरिस जारी किये गये।  
और सामल तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ और जवाब  
पेश किया। (जो साक्षि मिल हें।)

गुंजि चरा 16 RTA के तहत रास्ता परिवर्धित रूप  
की श्रेणी में होने से और साफल को सावधानी  
नहीं किया जा सकता। रास्ता सार्वजनिक प्रयोग में आता है  
जिसके कारण सड़कियों को भुतनाम भूमि पर विद्यमान  
आता उचित होगा।

आतः और साफल को भुतनाम भूमि पर अतिदुर्ग  
दोषित किया जाकर भौतिक भौतिक रूप से वेदयल  
किये जाते हैं सादर पिचे आते हैं एवं पुतनाम भूमि पर  
अतिदुर्ग हेतु लगात 0.16 का 50 गुण वि रूपये 81-  
अर्धकठ आरोपित किया जाता है।

पथारी हरणा व तीसार सुचित है। जिसल  
जैसल गुमार केकर पाखिले दफ्तर है।

निर्णय सिरे उपलाम लुनाथ जाया।

व. 2016-17 कषय 8  
-वे. 4 केपू 58 सं. 3 ... पर दज की

तहसीलदार, मेड़ता  
(नागौर-राजस्थान)

राजस्थान राजस्व लेखाकार मेड़ता